महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : hindivishwa.org

विद्या-परिषद की

32वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	:	27 अप्रैल, 2020 (सोमवार)
समय	:	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान	:	ग़ालिब सभागार विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 27.04.2020 (सोमवार)

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

स्थान : ग़ालिब सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	विद्या–परिषद में नए सदस्यों का नामांकन एवं स्वागत	1
1.	विद्या–परिषद की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	3
2.	कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए अकादमिक कैलेंडर 2020–21	
3.	प्रवेश नीति और प्रवेश प्रक्रिया 2020–21	4
4	अधिगम–परिणामाधारित पाठ्य संरचना	
5.	पी–एच.डी. और एम.फिल. अध्यादेश में संशोधन	
6.	जनसंचार विभाग, मानवविज्ञान विभाग, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, फिल्म अध्ययन, मनोविज्ञान विभाग, प्रबंधन विभाग का अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ में (School of Applied Science & Professionl Studies) अंतरण तथा कौशल विकास विभाग की स्थापना पर विचार	
7.	विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार 1. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त 2. साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त 3. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त 4. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त 5. प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त 6. शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त 7. दूर शिक्षा निदेशालय के प्रबंधन बोर्ड की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त 8. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त	5

8.	डी.लिट. उपाधि अध्यादेश–51 में संशोधन पर विचार	
9.	**अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय** 9.1 विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार 9.2 'मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ' का नामांतरण 'सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ' करने के संबंध में 9.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के अनुरूप अर्हता पूरी करने वाले अध्यापकों को शोध करने की अनुमति पर विचार	6
	9.4 कुलपति द्वारा विष्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति	7

c

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त

विद्या–परिषद की 32वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2020 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे साहित्य विद्यापीठ के ग़ालिब सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी:

1.	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	प्रतिकुलपति अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ निदेशक : विदेशी भाषा एवं अंत. अ. केंद्र
3.	प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट	प्रतिकुलपति
4.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ कुलानुशासक निदेशक, म.गां.फ्यु.गुरूजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र
5.	प्रो. प्रीति सागर	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग विभागाध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग
6.	प्रो. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग निदेशक, भ.आं.कौ.बौद्ध अध्ययन केंद्र
7.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विभाग
8.	प्रो. अनिल कुमार राय	प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
9.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग

10.	प्रो. फरहद मलिक	प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग
11.	प्रो. अवधेश कुमार	प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण **(ऑनलाइन)**
12.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज **(ऑनलाइन)**
13	प्रो. विजय कुमार कौल	निदेशक, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र **(ऑनलाइन)**
14.	प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय	विभागाध्यक्ष, भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
15.	डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर	विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग
16.	डॉ. शिरीष पाल सिंह	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान एवं प्रबंधन विभाग
17.	डॉ. मनोज कुमार राय	विभागाध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
18.	प्रो. अवधेश प्रधान	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
19.	प्रो. गोविंद प्रसाद शर्मा	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
20.	प्रो. कुमुद शर्मा	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
21.	प्रो. राज नारायण शुक्ल	बाह्य–विशेषज्ञ **(ऑनलाइन)**
22.	डॉ. रामानुज अस्थाना	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
23.	डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
24.	डॉ. एच.ए.हुनगुंद	एसोशिएट प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
25	डॉ. अनिर्वाण घोष	सहायक प्रोफेसर, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अ.कें.
26.	श्री शरद जायसवाल	सहायक प्रोफेसर, स्त्री अध्ययन विभाग
27.	डॉ. बीर पाल सिंह यादव	सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
28.	डॉ. अख्तर आलम	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
29.	डॉ. अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि **(ऑनलाइन)**
30.	डॉ. उमा यादव	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि **(ऑनलाइन)**
31	श्री वैभव उपाध्याय	छात्र प्रतिनिधि
32.	श्री गौरव कुमार	छात्र प्रतिनिधि
33.	डॉ. राजेश्वर सिंह	सहायक कुलसचिव, परिसर विकास **विशेष आमंत्रित**
34.	श्री राजेश अरोड़ा	सहायक कुलसचिव, स्थापना तथा क्रय एवं भंडार विभाग **विशेष आमंत्रित**
35.	डॉ. ज्योतिष पायेंग	सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग **विशेष आमंत्रित**

36. श्री के.के.त्रिपाठी — सहायक कुलसचिव, परीक्षा विभाग एवं प्रवेश प्रकोष्ठ

विशेष आमंत्रित

37. श्री क़ादर नवाज़ ख़ान — कुलसचिव एवं पदेन सचिव

शेष सदस्य अपरिहार्य कारणवश उपस्थित नहीं हो सके।

विद्या–परिषद में नए सदस्यों का नामांकन एवं स्वागत

- विद्या–परिषद की 31वीं (विशेष) बैठक की मद संख्या 01 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (जे) के प्रावधान के अंतर्गत **प्रो. कुमुद शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा प्रो. राज नारायण शुक्ल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ** को दो वर्ष के लिए विद्या–परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया।
- विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 14 (1) (एफ) के अंतर्गत डॉ. शोभा पालीवाल, एसोशिएट प्रोफेसर के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर डॉ. एच.ए. हुनगुंद, एसोशिएट प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग को विद्या–परिषद का सदस्य नामित किया गया है।

सदस्यों के नियुक्ति से विद्या–परिषद अवगत हुई, सभी नव–नियुक्त सदस्यों का स्वागत किया गया।

मद संख्या –1

30वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विद्या–परिषद की दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को संपन्न 30वीं बैठक के कार्यवृत्त और निर्णयों के अनुसरण में की गई कार्रवाई का विद्या–परिषद ने संज्ञान लिया तथा कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद संख्या–2

कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए अकादमिक कैलेंडर 2020–21

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के उपायों के अंतर्गत लागू लॉकडाउन के प्रभाव तथा विद्यार्थियों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य स्थितियाँ रहने पर सत्र 2019–20 के स्नातक पाठ्यक्रमों के छठवें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ जून 2020 में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करते हुए लेने का निर्णय लिया गया। शेष विद्यार्थियों को अस्थायी प्रोन्नति देकर अगले सत्र में प्रवेश दिया जायेगा तथा सत्र प्रारंभ होने के बाद सप्ताहांत में परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी।

सत्र 2020–21 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु मई महीने में विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया। बी–एड., एम.एड, एम.टेक, एम.फिल., पी–एच.डी. पाठ्यक्रमों में जहाँ नियमानुसार निर्धारित प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा कोरोना प्रभाव के कारण उत्पन्न स्थितियाँ सामान्य होने के उपरांत आयोजित की जायेगी। स्नातक, स्नातकोत्तर के शेष पाठ्यक्रमों में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

इसे इस सत्र के लिये ही लागू किया जायेगा भविष्य में इसे उदाहरण नहीं माना जायेगा। प्रवेश समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया है।

मद संख्या–3

प्रवेश नीति और प्रवेश प्रक्रिया 2020–21

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा–निर्देशों तथा प्रो. आर.सी. कुहाड समिति की अनुशंसाओं के आधार सत्र 2020–21 के प्रवेश और अकादमिक सत्र के संचालन संबंधी अनुशंसाएँ देने हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं की समिति गठित की जाये। अकादमिक कैलेंडर को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विद्या–परिषद की अगली बैठक में रखा जायेगा।

मद संख्या–4

अधिगम परिणामाधारित पाठ्य संरचना

अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम ढाँचा (LOCF) के अनुसार उनके पाठ्यक्रमों परास्नातक 90 क्रेडिट (04 सेमेस्टर) एवं स्नातक (ऑनर्स) 120 क्रेडिट (06 सेमेस्टर) के संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यवस्था के अनुपालन में किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या–5

पी–एच.डी. और एम.फिल. अध्यादेश में संशोधन

विश्वविद्यालय के पी–एच.डी अध्यादेश क्रमांक 45/2017 एवं एम.फिल. अध्यादेश 56/2017 में आवश्यक संशोधन हेतु कार्यालयादेश क्रमांक 009/PVC-HPC/2020/50 दिनांक 16.04.2020 के माध्यम से समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों के आलोक में दोनों अध्यादेशों का अध्ययन करके आंशिक बदलाव करने का प्रस्ताव विद्या–परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विद्या–परिषद ने चर्चा उपरांत प्रस्तुत संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

पी–एच.डी एवं एम.फिल. अध्यादेश सहित विश्वविद्यालय के समस्त अध्यादेशों का हिंदी अनुवाद करने का भी निर्णय लिया गया।

मद संख्या–6

जनसंचार विभाग, मानव विज्ञान विभाग, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, फिल्म अध्ययन, मनोविज्ञान, प्रबंधन विभाग, कौशल्य विकास विभाग का अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ (School of Applied Science & Professional Studies) में अंतरण तथा कौशल विकास विभाग की स्थापना पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 4–2/2020 (NSQF) में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय में व्यावसायिक अध्ययन और कौशल विकास विभाग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस विभाग के अंतर्गत निम्नांकित डिप्लोमा/पाठ्यक्रम चलाएं जाने का निर्णय लिया गया :

1. हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा
2. पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता में डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा
3. लेखा और कराधान में एडवांस डिप्लोमा
4. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में एडवांस डिप्लोमा

उक्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर संचालित किया जायेगा। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का ज्ञान न होने पर उन्हें हिंदी भाषा का आधारभूत पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। उक्त संशोधन के साथ प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

जनसंचार विभाग, मानव विज्ञान विभाग, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, फिल्म अध्ययन, मनोविज्ञान विभाग, प्रबंधन विभाग, कौशल विकास विभाग को अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ (School of Applied Science & Professional Studies) में अंतरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।

मद संख्या–7

विभिन्न विद्यापीठों के स्कूल बोर्ड द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार

1. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 21 अप्रैल, 2020 को संपन्न 17वीं बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गई ।

2. साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के सदस्यों द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर पुनः अध्ययन मंडल विचार करे, उचित समझे जाने पर इन्हें अध्ययन मंडल के कार्यवृत्त का भाग माना जाये। पूर्व दीक्षा व्याख्यान के प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार कर स्कूल बोर्ड को इस निर्देश के साथ वापस किया जाये कि पूर्व दीक्षा व्याख्यान की उचित पाठ्यचर्चा तैयार की जाये। स्कूल बोर्ड के अनुमोदन उपरांत इस व्यवस्था को विश्वविद्यालय स्तर पर लागू किया जाये। इसे विद्या–परिषद की आगामी बैठक में रखा जाये।

उक्त निर्देशों के साथ साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में की गई शेष संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गई ।

3. संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 21 अप्रैल, 2020 को संपन्न 19वीं बैठक के कार्यवृत्त में से स्त्री अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल (BoS) की अनुशंसाओं को **अस्वीकृत** किया गया। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

स्कूल बोर्ड द्वारा की गई शेष संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गई।

4. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गई

5. प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 21 अप्रैल, 2020 को संपन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गई।

6. शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 201 अप्रैल, 2020 को संपन्न 8वीं बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गई।

7. दूर शिक्षा निदेशालय के प्रबंधन बोर्ड की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

दूर शिक्षा निदेशालय के प्रबंधन बोर्ड की दिनांक 21 दिसंबर 2019 को संपन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गई।

8. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को संपन्न 12वीं बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या–8

डी.लिट. उपाधि अध्यादेश–51 में संशोधन पर विचार

विश्वविद्यालय के डी.लिट उपाधि अध्यादेश–51 का विद्या–परिषद ने अवलोकन किया तथा अवलोकन के उपरांत डी.लिट. अध्यादेश को निरस्त कर नये डी.लिट. अध्यादेश को तैयार करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–9

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

9.1 विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार

बिंदुः 1 विभाग के स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए। इस प्रकोष्ठ में विभाग के शिक्षकों एवं शोधार्थियों के सहयोग से पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य–सामाग्री निर्मित की जाए। यह योजना शोधर्थियों के अकादमिक प्रौढ़ता के लिए उपयोगी रहेगी।

निर्णय : विश्वविद्यालय इस संबंध में विभागों को दिशा–निर्देश जारी करेगा।

बिंदु 2 पी–एच.डी. शोधार्थियों को कोर्स वर्क पास करने का प्रमाण–पत्र अलग से दिया जाए ताकि वे अकादमिक अर्हता में इससे संबंधित आने वाली समस्या से बच सकें। पूर्व में यह समस्या आती रही है।

निर्णय : इस संबंध में पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है। स्वीकृत

बिंदु 3 किसी भी शोधवृत्ति प्रदाता संस्था से प्राप्त होने वाली शोधवृत्ति की अवधि समाप्त होने के बाद यदि नॉन–नेटफ़ेलोशिप की अवधि शेष हो तो शोधार्थी को शोधवृत्ति जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाए; यह व्यवस्था पूर्व में रही है।

निर्णय : शोधवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाती है अतः इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

बिंदु 4. वर्तमान संकट (कोरोना) के कारण वे शोधार्थी/विद्यार्थी जिन्हें शोध कार्य या परियोजना कार्य जमा करना था लेकिन वे अभी जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि शोध/परियोजना की समय अवधि पूरी हो रही है। अतः शोध एवं परियोजना कार्य जमा करने की अवधि बढ़ाई जाए।

निर्णय : कोरोना प्रभाव के कारण यदि कोई शोधार्थी शोध कार्य जमा करने में असमर्थ रहते है ऐसे शोधकर्ता द्वारा शोधकार्य के साथ आवेदन करने पर बिना वित्तीय ज़िम्मेदारी के विचार किया जायेगा। कुहाड समिति की अनुशंसाओं के आलोक में उचित निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

शोधवृत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति मांगी जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहमति प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करना संभव होगा।

बिंदु 5. आंतरिक परीक्षा (सत्रांत/संगोष्ठी) के अंक विद्यार्थियों को मिलने वाले अंक प्रमाण–पत्र में उल्लिखित किए जाएँ। कई संस्थाएं इसकी मांग करती हैं।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई

बिंदु 6. समस्त विभागों में टॉपर्स बोर्ड की व्यवस्था की जाए जहाँ उस विभाग के टॉपरों की सूची संलग्न रहे।

निर्णय : स्वीकार करते हुए यह निश्चय किया गया कि उच्चतम अंक प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ पुस्तकालय में रखी जायेगी।

बिंदु 7. विश्वविद्यालय के विभिन्न ज्ञान अनुशासन से संबंधित शोध जर्नल विभागीय लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए जाएँ।

निर्णय : शोध जर्नल केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसे विभागीय पुस्तकालय में तत्काल प्रारंभ करना संभव नहीं है।

बिंदु 8. ऐसे पी–एच.डी. शोधार्थी जिन्होने कोर्स किया हो उन्हें 4 वर्ष के उपरांत 6 माह अतिरिक्त शोधवृत्ति प्रदान की जाए। ऐसे शोधार्थी के लिए शोधवृत्ति की अवधि 4 वर्ष और 6 माह हो।

निर्णय : इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

9.2 'मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ' का नामांतरण 'सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ' करने के संबंध में

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ का नाम सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ करने का निर्णय लिया गया। समाज कार्य संस्थान के गठन होने तक महात्मा गांधी फ्युजी गुरूजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत ही रहेगा।

9.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के अनुरूप अर्हता पूरी करने वाले अध्यापकों को शोध करने की अनुमति पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अध्यापक जो शोध निर्देशक नियुक्त होने की अर्हता पूरी करते है तथा जिन्हें अपने विभाग/केंद्र में

निर्देशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें **भाषा, साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित परा–विद्या उच्च शोध एवं ज्ञान सृजन केंद्र** में शोध कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

9.4 कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2019–20 में प्राप्त की गई उपलब्धियों की प्रगति रिपोर्ट कुलपति महोदय द्वारा विद्या–परिषद के समक्ष प्रस्तुत की तथा इन उपलब्धियों को पाने में सहयोग के लिए सभी से आभार प्रकट किया ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

कादर नवाज़ 30/04/2020

(क़ादर नवाज़ ख़ान)

कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद

म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा